

## कार्यालयः—प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कटनी


// आदेश //

क. १८७ / दो-११-०१/०२

कटनी दिनांक:- ०३/०५/२४

प्रशासनिक कार्य व्यवस्था एवं सुविधा की दृष्टि से, निम्न विवरण अनुसार तृतीय श्रेणी कर्मचारी का स्थानांतरण तत्काल प्रभाव से किया जाता है :—



कं.	तृतीय श्रेणी कर्मचारी का नाम	कहाँ से (न्यायालय/अनुभाग)	कहाँ को (न्यायालय/अनुभाग)	रिमार्क
1	2	3	4	5
1	श्री दिनेश तिवारी, प्रस्तुतकार सिविल	श्री मुकेश नाथ, प्रथम जिला न्यायाधीश कटनी	श्री नदीम जावेद खान चतुर्थ व्यव. न्या. वरिष्ठखंड कटनी	अटैच सहायक ग्रेड-३
2	श्री कृष्ण कुमार चौधरी, प्रस्तुतकार सिविल	श्रीमति सिद्धि मिश्रा सप्तम जिला न्यायाधीश कटनी	श्री मुकेश नाथ, प्रथम जिला न्यायाधीश कटनी	श्री दिनेश तिवारी, के स्थान पर
3	श्री विनोद धुर्वे, प्रस्तुतकार दांडिक	श्रीमती अंकिता त्रिपाठी षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड कटनी	सुश्री प्रीतिबाला मुनिया, प्रशिक्षु व्यवहार न्याया० कनिष्ठ खंड कटनी	सिविल/ किमीनल रीडर / साक्ष्य लेखक
4	श्री शंभूनाथ श्रीवास्तव, प्रस्तुतकार दांडिक	श्रीमती सुष्टि दुबे, नवम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड कटनी	श्रीमती अंकिता त्रिपाठी षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड कटनी	श्री विनोद धुर्वे के स्थान पर

  
 प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
 कटनी म.प्र.  
 कटनी दिनांक ०३/०५/२४

पृष्ठांकन कमांक/ १०६६/ दो-११-०१/०२

प्रतिलिपि :-

- कॉलम कं. ३ में अंकित न्यायिक अधिकारी/प्रभारी अधिकारी की ओर सूचनार्थ प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह अपने अधीनस्थ पदस्थ कर्मचारी को तत्काल भारमुक्त करें।
- कॉलम कं. ४ में अंकित न्यायिक अधिकारी/प्रभारी अधिकारी की ओर सूचनार्थ।
- संबंधित कर्मचारी की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह तत्काल अपने नवीन पद पर कार्यभार ग्रहण कर प्रतिवेदन पेश करे।
- लेखापाल/सहायक लेखापाल/जिला नाजिर/वेतन लिपिक की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
 प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
 कटनी म.प्र.